

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन" 14-अंशक मार्ग,
लखनऊ ।

सं० 3636 -का. वि. नी./रा.विप-29/94-94पी/87, दिनांक: 17 नवम्बर, 1994

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त मेडा पब्लिक,
समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
30 प्र० राज्य विद्युत परिषद ।

कार्मिक एवं
वित्त नीति
अनुभाग-29

विषय:- 1 अप्रैल, 1984 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों
पर दिनांक 1 जुलाई, 1994 से महंगाई भत्ते
की अनुमन्यता ।

महोदय,

अनुवृत्त विषयक परिषदाज्ञा सं० 2245-का. वि. नी./रा.विप-29/94
94पी/87, दिनांक 14 जून, 1994 के अनुक्रम में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है
कि दिनांक 1 अप्रैल, 1984 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन पर रहे परिषदीय
सेवकों को दिनांक 1 जुलाई, 1994 से निर्धारित संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के
भुगतान किए जाने की परिषद ने सर्वोत्तीकृति प्रदान की है :-

तिथि	वेतन स्तर	महंगाई भत्ते की दर
1-7-1994	रु० 3500 तक	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 114 प्रतिशत एवं दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।
	रु० 3501 से 6000 तक	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 85 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 4483 प्रति माह एवं दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।
	रु० 6001 एवं तदुपरि	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 74 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 5508 प्रति माह एवं दिनांक 1-1-86 की अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।

2- उस परिषदीय सेवकों को जो किन्हीं कारणों से अनुनरीक्षित वेतनमानों में
ही वेतन आहरित कर रहे हैं उपरोक्त महंगाई भत्ता निम्न दरों पर अनुमन्य होगा :

तिथि	वेतन स्तर	महंगाई भत्ते की दर
1-7-1994	रु० 3500 मूल वेतन तक	वेतन का 114 प्रतिशत
	रु० 3501 से 6000 तक	वेतन का 85 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 3990/-
	रु० 6001 एवं तदुपरि	वेतन का 74 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 5100/-

इस श्रेणी में आने वाले सेवकों को दिये महंगाई भत्ते के आगणन हेतु उन्हें

कृपया:.....

जो धनराशि वर्तमान मूल वेतन एवं ठहराव वेतन पर महंगाई व तदर्थ महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य थी, जोड़ी जायेगी।

3- इस परिष्ठादेश में स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु वेतन का तात्पर्य वर्तमान मूल वेतन जैसा कि वित्त हस्त-पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम-9 [21] [11] में परिभाषित है, से होगा अर्थात् महंगाई भत्ते के आगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- उपर्युक्त के अनुसार इन आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़े हुए महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि रु० 3500/- या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 से जिसका भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 95 को देय होगा। कर्मचारियों को नकद किया जायेगा।

5- उपर्युक्त के अनुसार इन आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़े हुए महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि रु० 3500/- प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जुलाई, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार से जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 से जमा माना जायेगा तथा इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दी जायेगी। दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 से जिसका भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 1995 को देय होगा, महंगाई भत्ते की इस अतिरिक्त देय किस्त का भुगतान नकद किया जायेगा। किन्तु पहले दिनांक 1-7-90, 1-1-91, 1-7-91, 1-1-92 तथा 1-7-92 से पुरानी महंगाई भत्ते की किस्तें जो भविष्य निधि खाते में नियमित अंशदान की तरह जमा की जाती थी, वह उसी प्रकार जमा होती रहेंगी।

6- ई०पी०एफ०/सी०पी०एफ० के सदस्यों को भी उक्त बढ़ी हुई धनराशि का देय अवशेष, यथा आदेश सं० 1120-का. प्रि. नी. रा. वि. प-29/93-94 सी/87, दिनांक 19 अगस्त, 1993 में उल्लिखित उनके खातों में जमा किया जायेगा।

7- जिन कर्मचारियों की सेवाएँ इन आदेशों के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो कर्मचारी अधिपूजा की आयु पर दिनांक 31 मई, 1995 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनकी देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

8- अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य महंगाई भत्ते की उसी प्रकार माना जायेगा (Treatment) जिस प्रकार कायविधि (Duty Period) के लिए माना जाता है।

9- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धराराशि को गणनाक्रम में निम्नलिखित एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रुपया माना जायेगा और 50 पैसे कम की धराराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

10- पुनरीक्षित वेतन के विभिन्न स्तरों पर उक्त तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते की धराराशि एवं नियमित रूप से भविष्य निधि खाते में जमा करने वाली धराराशि को दर्शाते हुए एक सद्योगक सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। दिनांक 1-7-94 से 30-11-94 तक के अवधि के भुगतान हेतु पुस्तक 4 व 5 में इंगित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बड़े हुए महंगाई भत्ते की धराराशि के आहरण हेतु मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

भदीय,

संलग्नक :- सद्योगक

महाराज किशोर सोनी
संयुक्त सचिव

सं० 3636-काविनी।।।/राविप-29/94-94सी/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- नियंत्रक लेखा, 30 प्र० रा० वि० प्र०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त अधीक्षण अभियंता/अध्याप्ती अभियंता, 30 प्र० राज्य विद्युत परिषद।
- 3- पुलिस महा निरीक्षक/सतर्कता, 30 प्र० रा० वि० प्र०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता अधिष्ठान, 30 प्र० रा० वि० प्र०, इन्सी बाय, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ उप-महा लेखाकार, 30 प्र० रा० वि० प्र०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- 6- समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, 30 प्र० राज्य विद्युत परिषद।
- 7- परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग अधिकारीगण।

आज्ञा से,

महाराज किशोर सोनी
संयुक्त सचिव

परिष्ठापना सं० 3636-का. वि. नी. रा. वि. प-29/94-

94पी/87, दिनांक 17 नवम्बर, 1994 का अनुलग्नक।

दिनांक 1-7-1994 से अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा भविष्य निधि छूट में जमा होने वाले महंगाई भत्ते की धराराशि का सन्दर्भ

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.पी.एस.फ.]	मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.पी.एस.फ.]
900.00	1238.00	0.00	1285.00	1767.00	0.00
915.00	1259.00	0.00	1290.00	1774.00	0.00
930.00	1278.00	0.00	1300.00	1789.00	0.00
945.00	1300.00	0.00	1315.00	1809.00	0.00
960.00	1321.00	0.00	1320.00	1815.00	0.00
980.00	1348.00	0.00	1330.00	1829.00	0.00
1000.00	1375.00	0.00	1345.00	1850.00	0.00
1020.00	1402.00	0.00	1350.00	1858.00	0.00
1040.00	1430.00	0.00	1360.00	1871.00	0.00
1060.00	1459.00	0.00	1375.00	1891.00	0.00
1065.00	1464.00	0.00	1390.00	1912.00	0.00
1080.00	1486.00	0.00	1415.00	1947.00	0.00
1090.00	1499.00	0.00	1420.00	1953.00	0.00
1100.00	1513.00	0.00	1430.00	1963.00	0.00
1105.00	1521.00	0.00	1450.00	1995.00	0.00
1118.00	1534.00	0.00	1455.00	2001.00	0.00
1125.00	1548.00	0.00	1470.00	2022.00	0.00
1130.00	1554.00	0.00	1495.00	2055.00	0.00
1140.00	1567.00	0.00	1510.00	2077.00	0.00
1150.00	1583.00	0.00	1535.00	2112.00	0.00
1155.00	1589.00	0.00	1550.00	2133.00	0.00
1165.00	1602.00	0.00	1575.00	2166.00	0.00
1175.00	1616.00	0.00	1600.00	2201.00	0.00
1180.00	1623.00	0.00	1615.00	2222.00	0.00
1190.00	1637.00	0.00	1630.00	2270.00	0.00
1200.00	1650.00	0.00	1700.00	2338.00	0.00
1210.00	1664.00	0.00	1750.00	2408.00	0.00
1215.00	1672.00	0.00	1800.00	2476.00	0.00
1225.00	1685.00	0.00	1850.00	2546.00	0.00
1230.00	1691.00	0.00	1860.00	2559.00	0.00
1240.00	1705.00	0.00	1900.00	2613.00	0.00
1255.00	1726.00	0.00	1920.00	2640.00	0.00
1260.00	1734.00	0.00	1950.00	2683.00	0.00
1265.00	1740.00	0.00	1980.00	2724.00	0.00
1273.00	1747.00	0.00	2000.00	2751.00	0.00
			2040.00	2805.00	0.00

कुम्भा:..... 2/

x
1655.00 2276.00 0.00
1695.00 2330.00 0.00

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता जीपीएसफ	मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता जीपीएसफ
2060.00	2834.00	0.00	2825.00	3886.00	0.00
2100.00	2888.00	0.00	2840.00	3905.00	0.00
2120.00	2915.00	0.00	2850.00	3921.00	0.00
2160.00	2972.00	0.00	2855.00	3927.00	0.00
2175.00	2991.00	0.00	2900.00	3989.00	0.00
2180.00	2999.00	0.00	2915.00	4010.00	0.00
2220.00	3053.00	0.00	2930.00	4029.00	0.00
2225.00	3061.00	0.00	2950.00	4052.00	0.00
2240.00	3080.00	0.00	3000.00	4137.00	0.00
2250.00	3096.00	0.00	3005.00	4149.00	0.00
2255.00	3101.00	0.00	3050.00	4235.00	0.00
2280.00	3136.00	0.00	3080.00	4277.00	0.00
2300.00	3163.00	0.00	3100.00	4304.00	0.00
2315.00	3185.00	0.00	3150.00	4376.00	0.00
2325.00	3198.00	0.00	3155.00	4382.00	0.00
2330.00	3204.00	0.00	3200.00	4455.00	0.00
2340.00	3218.00	0.00	3250.00	4538.00	0.00
2375.00	3266.00	0.00	3300.00	4620.00	0.00
2390.00	3287.00	0.00	3350.00	4700.00	0.00
2400.00	3301.00	0.00	3400.00	4779.00	0.00
2405.00	3309.00	0.00	3450.00	4858.00	0.00
2450.00	3371.00	0.00	3500.00	4934.00	0.00
2465.00	3390.00	0.00	3600.00	4942.00	1773.00
2475.00	3404.00	0.00	3625.00	4944.00	1773.00
2480.00	3411.00	0.00	3700.00	4951.00	1773.00
2525.00	3473.00	0.00	3750.00	4957.00	1773.00
2540.00	3493.00	0.00	3800.00	4959.00	1773.00
2550.00	3508.00	0.00	3875.00	4962.00	1773.00
2555.00	3514.00	0.00	4000.00	4973.00	1773.00
2600.00	3576.00	0.00	4125.00	4985.00	1773.00
2615.00	3597.00	0.00	4250.00	4999.00	1773.00
2625.00	3611.00	0.00	4375.00	5008.00	1773.00
2630.00	3617.00	0.00	4500.00	5016.00	1773.00
2675.00	3679.00	0.00	4625.00	5029.00	1773.00
2690.00	3700.00	0.00	4750.00	5040.00	1783.00
2700.00	3714.00	0.00	4875.00	5172.00	1846.00
2705.00	3721.00	0.00	5000.00	5312.00	1895.00
2750.00	3783.00	0.00	5125.00	5442.00	1942.00
2775.00	3816.00	0.00	5150.00	5467.00	1951.00
2780.00	3824.00	0.00			

कुमारा:..... 3/

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.पी.एस.]
5300.00	5467.00	1951.00
5450.00	5467.00	1951.00
5600.00	5589.00	2002.00
5750.00	5739.00	2111.00
5900.00	5888.00	2167.00
6050.00	5988.00	2204.00
6100.00	5988.00	2204.00
6300.00	5988.00	2204.00
6500.00	5988.00	2204.00
6700.00	5988.00	2204.00
6900.00	5991.00	2172.00
7100.00	6119.00	2203.00
7300.00	6221.00	2265.00
7500.00	6464.00	2328.00
7700.00	6636.00	2389.00
7750.00	6680.00	2405.00
7900.00	6808.00	2452.00
8000.00	6894.00	2482.00
8100.00	6981.00	2513.00

महाराज किशोर सोती
संयुक्त सचिव